378
29-06-17

संख्या–399 / 65–1–2017–161 / 2014

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 28 जून, 2017

विषय– उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली 2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों / स्वतः रोजगार में रत दिव्यांग व्यक्तियों, उनके सेवायोजकों एवं दिव्यांगजन के प्लेसमेंट अधिकारियों एवं स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि को पुरस्कार दिये जाने हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली बनाये जाने की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली 2017

संक्षिप्त नाम	यह नियमावली '**उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली, 2017**' कही जायेगी।
परिभाषाएँ	1. राज्य सरकार– "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। 2. " प्रमुख सचिव / सचिव " का तात्पर्य प्रमुख सचिव / सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश से है। 3. निदेशक– "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश से है। 4. "पुरस्कार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नियमावली के अर्न्तगत दिये जाने वाले पुरस्कार से है।
कार्यक्षेत्र	यह नियमावली पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
उद्देश्य	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 लागू होने के फलस्वरुप दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में योजनाओं / कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ है जिसके निमित्त पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियां यथा 1. सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी / स्वनियोजित दिव्यांगजन 2. दिव्यांगजन हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेन्ट अधिकारी या एजेंसी के लिए 3. दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तथा सर्वश्रेष्ठ संस्था के लिए 4. प्रेरणास्रोत हेतु 5. दिव्यांगजन के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान या उत्पाद विकास के लिए 6. दिव्यांगजन हेतु "बाधामुक्त वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए, 7.दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला 8. सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग वयस्क व्यक्तियों एवं सर्वश्रेष्ठ बालक / बालिका 9. सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस 10. दिव्यांगजन के लिए सर्वोत्तम अनुकूल वेबसाइट 11. सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ीं 12. दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी के लिए इत्यादि क्षेत्रों में कियाशील व्यक्ति, शासकीय विभाग, आटोनामस बाडी, लोकल बाडीज, प्राइवेट सेक्टर या स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने तथा विस्तारित योजनाओं / कार्य क्षेत्र में गतिशीलता लाने तथा नये आयामों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना है।
पुरस्कार की श्रेणियॉ	1. सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी / स्वनियोजित दिव्यांगजन, 2. दिव्यांगजन हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेन्ट अधिकारी या एजेंसी के लिए, 3. दिव्यांगजन के

J.D(AK)
29.06.17
29/06/2017

	निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तथा सर्वश्रेष्ठ संस्था के लिए, 4. प्रेरणास्रोत हेतु, 5. दिव्यांगजन के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान या उत्पाद विकास के लिए, 6. दिव्यांगजन हेतु "बाधामुक्त वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए, 7. दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला, 8. सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग वयस्क व्यक्तियों एवं सर्वश्रेष्ठ बालक/बालिका, 9. सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस, 10. दिव्यांगजन के लिए सर्वोत्तम अनुकूल वेबसाइट, 11. सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, 12. दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के लिए ।

पुरस्कारों का विवरण और श्रेणियां

1– सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी/ स्वनियोजित दिव्यांगजन के लिए कुल 04 पुरस्कार

उपश्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
दृष्टिबाधित/ निम्नदृष्टि	एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल
श्रवणबाधित	एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल
चलन विकलांगता/ प्रमस्तिष्क अंगघात	एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल
मानसिक मंदता/ मानसिक रुग्णता	एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल

2– दिव्यांगजन हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेन्ट अधिकारी या एजेंसी के लिए कुल 02 पुरस्कार

उपश्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता	एक (1) सरकारी संगठन (2) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त या स्थानीय सरकारी निकाय (3) निजी या गैर–सरकारी संगठन	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल
सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेन्ट अधिकारी या एजेंसी	एक (1) स्वायत्त सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (2) निजी या गैर–सरकारी संगठन/ कार्यालय	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल

3– दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तथा सर्वश्रेष्ठ संस्था के लिए कुल 04 पुरस्कार

उपश्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति	दो– व्यावसायिक तथा गैर–व्यावसायिक प्रत्येक के लिए एक–एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल
सर्वश्रेष्ठ संस्था	दो– प्रत्येक के लिए एक–एक (1) दिव्यांग व्यक्तियों के	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल

		लिए समग्र रुप से पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला कोई संगठन और (2) दिव्यांग बच्चों/ व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला कोई संगठन	

4– प्रेरणास्रोत हेतु कुल 05 पुरस्कार

उपश्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
दृष्टिबाधित या निम्नदृष्टि	एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल
कुष्ठ रोग से उपचारित	एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल
श्रवणबाधित	एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल
चलन विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात	एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल
मानसिक मंदता /मानसिक रुग्णता या ऑटिज्म	एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल

5– दिव्यांगजन के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान या उत्पाद विकास के लिए कुल 02 पुरस्कार

उपश्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ **नवीन अनुसंधान**	एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल
दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन सुधारने के निमित्त प्रभावी **उत्पाद विकास** के लिए	एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल

6– दिव्यांगजन हेतु "बाधामुक्त वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 02 पुरस्कार

उपश्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
सरकारी विभाग या कार्यालय या पीएसयू या स्वायत्त निकाय/ स्थानीय निकाय	एक	प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल
निजी क्षेत्र या एनजीओ	एक	प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल

7– दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला के लिए 01 पुरस्कार

उपश्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
सर्वश्रेष्ठ जनपद	एक	प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल

8– सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग वयस्क व्यक्तियों एवं सर्वश्रेष्ठ बालक/बालिका हेतु 04 पुरस्कार

उपश्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
सृजनशील वयस्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए	दो (एक पुरुष के लिए तथा एक महिला के लिए)	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल
सृजनशील दिव्यांग बालक/बालिका के लिए	दो (एक बालक एवं एक बालिका के लिए)	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल

9– सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस के लिए 01 पुरस्कार

उपश्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस	एक	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल

10– दिव्यांगजन के लिए सर्वोत्तम अनुकूल वेबसाइट हेतु 01 पुरस्कार

उपश्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
सरकारी संगठन/ पीएसयू या एलबी/ निजी क्षेत्र	एक	प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल

11– सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाडियों के लिए 02 पुरस्कार

उपश्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए	दो (एक पुरुष एवं एक महिला के लिये)	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल

12– दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के लिए 02 पुरस्कार

उपश्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी	दो (एक अधिकारी के लिये एक कर्मचारी के लिए)	रुपये पच्चीस हजार नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र, पदक और शाल

पुरस्कार हेतु पात्रता

1– सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी/स्वनियोजित दिव्यांगजन के लिए

राज्य सरकार के सरकारी कर्मी या राज्य सरकार के अधीन संवैधानिक निकायों, निगमों, स्थानीय निकायों, राज्य सरकार के उपकमों, निजी क्षेत्र आदि के दिव्यांग कर्मचारी और स्वनियोजित दिव्यांगजन जो उ0प्र0 के निवासी हों या विगत 10 वर्षो से उत्तर प्रेदश में निवास कर रहे हों पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

जॉच समिति द्वारा दिव्यांग कर्मचारी या स्वनियोजित दिव्यांगजन् श्रेणी में पुरस्कार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते समय दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

1.1–राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु दिव्यांग कर्मचारियों का आंकलन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा

क0 सं0	मानदंड	अंक
1	उपस्थिति में समय की पाबन्दी एवं नियमितता	10%
2	वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहकर्मियों के साथ सहयोग	10%

3	गतिशीलता, आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता आदि की सीमा	10%
4	प्राकृतिक वातावरण, उपकरण, मशीन तथा प्रकिया आदि से समायोजन हेतु कोई अत्यधिक मांग नहीं	10%
5	दिव्यांगजन के संदर्भ में किसी विशेष पारिश्रमिक की कोई अतिरिक्त मांग नही	10%
6	दिव्यांगता का प्रकार	10%
7	दिव्यांगता का प्रतिशत	10%
8	गैर–दिव्यांग सहकर्मियों की तुलना में उसके कार्य परिणाम/उत्पादन का अनुपात	10%
9	दिव्यांग होने के बाद अर्जित शिक्षा/योग्यता	10%
10	दिव्यांग होने के बाद योग्यता के कारण कैरियर में प्रगति	10%

1.2–राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु स्वनियोजित दिव्यांगजन का आंकलन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा

क0 सं0	**मानदंड**	**अंक**
1	व्यवसाय से अनुकूलतम अथवा उल्लेखनीय लाभ अर्जित किया जा रहा है।	15%
2	दिव्यांग व्यक्ति व्यवसाय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।	10%
3	दिव्यांग व्यक्ति अपने कर्मचारियों का पारिश्रमिक भुगतान करता हो और वित्तीय संस्थानों को ऋण की किस्तों का नियमित भुगतान करता है	10%
4	पिछले पांच वर्षो का वार्षिक टर्नओवर	15%
5	उद्यम में लागू किया गया नवाचार	10%
6	बिना किसी सहारे के किस सीमा तक उद्यम को संचालित कर सकता है	10%
7	उद्यम नियोजित दिव्यांगजन की संख्या	10%
8	दिव्यांगता का प्रतिशत अधिक होने के बावजूद संस्थान की स्थापना एवं उसे सुचारु रुप से सफलतापूर्वक चलाया हो	10%
9	विपरीत सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होने के बावजूद संस्थान की स्थापना की एवं उसे सुचारु रुप से सफलतापूर्वक चलाया हो	10%

1.3– जॉच समिति द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों या स्वनियोजित दिव्यांगो के वर्ग में पुरस्कार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते समय ग्रामीण तथा शहरी दोनों दिव्यांग व्यक्तियों, दिव्यांग महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और एकसमान क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

➢ आवेदन अनुबंध–क के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

2– दिव्यांगजन हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेन्ट अधिकारी या एजेंसी

के लिए

2.1 राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के लिए मानदण्ड

3 उप श्रेणियों (1) सरकारी संगठन, (2) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान या स्वायत्त निकाय या स्थानीय सरकारी निकाय तथा (3) निजी या गैर–सरकारी संगठन के तहत दिव्यांगजन के उत्कृष्ट नियोक्ताओं का आंकलन निम्नलिखित मानदंड के आधार पर किया जायेगाः–

क्र0 सं0	मानदंड	अंक
1	दिव्यांगजन के नियोजन की न्यूनतम शर्त को ध्यान में रखते हुए उस वर्णित प्रतिष्ठान में कम से कम 10 प्रतिशत कर्मचारी दिव्यांग हों।	20%
2	जहां कहीं आवश्यक हो, मशीनरी में मामूली समायोजन/संशोधन किए गए हैं.	05%
3	कार्यस्थल पर बाधामुक्त पहुंच सहित आवश्यक पर्यावरणीय उपांतरण किए गए हैं।	10%
4	दिव्यांग कर्मचारियों के लिए वेतन की दर सहित वही सेवा शर्तें लागू हैं जो समान कार्य हेतु अन्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित हैं।	15%
5	नियोजकों ने दिव्यांगजन की समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है।	10%
6	जहाँ आवश्यक तथा व्यवहार्य है, आवास एवं परिवहन आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।	10%
7	प्रतिधारण दर	10%
8	कर्मचारियों का आकलन और	10%
9	सुनिश्चित की गयी उत्पादकता	10%

➤ आवेदन अनुबंध–ख के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

2.2 राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेन्ट अधिकारी या एजेंसी

(क) दिव्यांगजन के सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी/संस्था की श्रेणी के अंतर्गत 02 पुरस्कार होंगे, निम्नलिखित 02 उपश्रेणियों में एक–एक पुरस्कार प्रदान किया जायेगाः–

1– स्वायत्त सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और

2– निजी/गैर–सरकारी संगठन या अधिकारी

(ख)– दिव्यांग व्यक्तियों के प्लेसमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी का आंकलन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाएगाः–

क्र0 सं0	मानदंड	अंक
1	पिछले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 50 प्रतिशत पंजीकृत बेरोजगार दिव्यांगजन को नियोजित कराया हो और उनमें से कम से कम 30 प्रतिशत महिलाएं हों	20%
2	पिछले 5 वर्षों के दौरान नियोजित दिव्यांगजन की कुल संख्या	10%
3	पिछले 5 वर्षों के दौरान उसके द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही एवं उससे पंजीकृत लोगों का नियोजन पिछले वर्ष के अंत तक सर्वोत्कृष्ट रहा है	25%

4	नियोजन अधिकारी का व्यवहार पंजीकृत दिव्यांगजन के प्रति सकारात्मक एवं सहायतापूर्ण रहा है	20%
5	वर्णित वर्ष में छोड़ कर जाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए	15%
6	नियोजन अधिकारी विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजन को नियोजन प्रदान करेगा और नियोजन हेतु सहायता करते समय उनमें संतुलन बनाए रखेगा	10%

➢ आवेदन अनुबंध–ग के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

3– दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तथा सर्वश्रेष्ठ संस्था के लिए

3.1 राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति

(क) विशेष प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को दो पुरस्कार (व्यावसाइयों और गैर–व्यावसाइयों को एक–एक) प्रदान किए जाएंगे।

(ख) ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे जिन्होने किसी वर्ष विशेष के दौरान दिव्यांगजन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। व्यक्ति की उत्कृष्टता का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जाएगाः–

(1) संगठन जिसमें वह कार्य करता/करती है वह उसे उत्कृष्ट मानता है।

(2) पिछले 5 वर्षो के दौरान नए कार्यक्रम अथवा सेवाएं शुरु करने के लिए उत्तरदायी है जिनके फलस्वरुप विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हों।

(3) उसका योगदान दिव्यांगजन के विकास/पुनर्वास/ शिक्षण/ कुष्ठावस्था/ प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट होना चाहिए।

(4) सामुदायिक पुनर्वास हेतु पुनर्वास मॉडल के विकास तथा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में उसके कार्यान्वयन में उसका योगदान।

(5) उसने असाधारण व्यावसायिक उपलब्धियां हासिल की हों।

➢ आवेदन अनुबंध–घ के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाएंगे।

3.2 राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्था

(क) इस श्रेणी के अंतर्गत 2 पुरस्कार होंगे। निम्नलिखित दो उप–श्रेणियों के अंतर्गत एक–एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगाः–

1– दिव्यांगजन के लिए समग्र रुप से पुनर्वास सेवांए प्रदान करने वाला कोई संगठन हैं: तथा

2– दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला कोई संगठन

(ख) इस श्रेणी में पुरस्कार प्रदान करने हेतु मानदण्ड निम्नानुसार होगा–

क0 सं0	मानदंड	अंक
1	संस्था ने विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त लोगों के लिए व्यापक सेवा शुरु की है	10%
2	नये उपकरणों के उपयोग को अपनाया है	10%
3	नई सेवाएं प्रदान की है	15%
4	मौजूदा सेवाओं में सुधार हेतु नई कार्य नीतियां शुरु की हैं	10%

5	पुर्नवास कार्य में प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कारवाई की है	05%
6	शिक्षा/प्रशिक्षण/पुनर्वास/कुष्ठावस्था आदि के क्षेत्र में उपलब्धियां उत्कृष्ट होनी चाहिए	10%
7	संस्थान के पास सम्बद्ध क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए	10%
8	अपने मुख्यालय के आस-पास सम्पर्क सेवाओं के विस्तार में संस्थान का योगदान	05%
9	विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों के पुर्नवास हेतु समुदाय को प्रोत्साहित करना, उसे शामिल करना तथा सहभागिता सुनिश्चित करना	10%
10	संस्थानों का चयन करते समय विकलांग व्यक्तियों को पुर्नवास सेवाएं प्रदान करने में स्थानीय जनता की सहभागिता के माध्यम से स्वैच्छिक कारवाई को उचित तरजीह दी गई।	05%
11	भौगोलिक क्षेत्र जिसमें संस्थान सेवाएं प्रदान कर रहा है	05%
12	विकलांगता के वर्ग (वर्गों), जिनमें संस्थान सेवाएं प्रदान कर रहा है।	05%
13	संस्थान का निःशक्तजन अधिनियम-1995 अर्न्तगत पंजीयन तथा दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु 10 वर्षो का अनुभव होना चाहिए	10%

➢ आवेदन अनुबंध-ङ के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आंमत्रित किए जाएंगे।

4– राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु प्रेरणास्रोत

(क) इस श्रेणी में 05 पुरस्कार होंगे, जिन्हें उन दिव्यांगजन को प्रदान किया जाएगा जो अपने चयनित क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के कारण दिव्यांगजन के लिए एक उदाहरण सिद्ध हो सकते हैं। दिव्यांगता के निम्नलिखित उपवर्गों में प्रत्येक श्रेणी में एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

1– दृष्टिहीनता अथवा निम्नदृष्टिः

2– कुष्ठ रोग से उपचारितः

3– श्रवणबाधितः

4–चलन विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्कीय अंगघात (सेरीब्रल पाल्सी):एवं

5– मानसिक मंदता/मानसिक रूग्णता या आटिज्म

(ख) तथापि, यदि किसी एक अथवा अधिक उप-वर्गों के उपयुक्त नहीं जाते हैं तो पुरस्कार अन्य उप-वर्गों के अतिरिक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को प्रदान किए जाएंगे।

➢ आवेदन अनुबंध-च के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

5– दिव्यांगजन के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान या उत्पाद विकास के लिए

एक पुरस्कार दिव्यांगजन के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान या प्रौद्योगिकीय अभिनवीनता हेतु दिया जाएगा और एक पुरस्कार दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से नए किफायती उत्पाद के विकास हेतु प्रदान किया जायेगा।

5.1 राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु दिव्यांगजन के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान के लिए निम्नलिखित चयन मानदंड होंगे:–

(1) उत्कृष्ट उपकरण, सहायक यंत्र अथवा अनुकूलन यंत्र का विकास जो दिव्यांगजन के लिए शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार प्राप्त करने. अथवा उसें बनाए रखने एवं समुदाय के सामाजिक-आर्थिक जीवन में पूर्ण रुप से समेकित होने

में उसकी क्षमता में उल्लेखनीय सुधार करता है; तथा

(2) दिव्यांगजन की गतिशीलता में वृद्धि करने, उत्पादकता अथवा रोजगार में वृद्धि करने, यंत्र के अनुरक्षण एवं मरम्मत की क्षमता में यंत्र की प्रभावकारिता।

5.2 राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु दिव्यांगजन के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ नवीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित चयन मानदंड होंगे:-

(1) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए दिव्यांगजन की गतिशीलता बढ़ाने में इसकी प्रभावोत्पादकता।

(2) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए दिव्यांजन की उत्पादकता एवं स्वरोजगार को बढ़ाने हेतु अपनी आंतरिक क्षमता के सर्वोत्कृष्ट उपयोग में सहायक होने में इसकी प्रभावोत्पादकता।

(3) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए दिव्यांगजन में संचार को सुगम बनाने में इसकी प्रभावोत्पादकता।

(4) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए दिव्यांगजन को शिक्षा प्रदान करने में इसकी प्रभावोत्पादकता।

(5) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए दिव्यांगजन को मनोरंजन प्रदान करने में इसकी प्रभावोत्पादकता।

(6) शासन स्तर पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपनाया गया अन्य कोई मानदण्ड। इस समिति का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

➢ आवेदन अनुबंध–छ के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

6– दिव्यांगजन हेतु "बाधामुक्त वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए

बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को एक तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों को एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा अपने कार्य परिसर में दिव्यांगजन को बाधा मुक्त सुविधा में कार्य की परिस्थितियां उपलब्ध कराई गई हों। कार्यस्थल आवागमन की दृष्टि से आसान हो, शौचालय सुविधाओं और सांकेतिक भाषा तथा अन्य संकेतों के माध्यम से दिए गए निर्देशों से युक्त हों, जो दिव्यांगजन की आवाजाही को सुगम बनाता हो और अपने समग्र कार्य वातावरण में उन्हें समाहित करता हो।

➢ आवेदन अनुबंध–ज के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आंमत्रित किए जाएंगे।

7– राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला

दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करके उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिले को पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। यह पुरस्कार चयनित जिले से क्रियान्वयन विभाग/एजेंसी के नोडल अधिकारी तथा जिलाधिकारी को संयुक्त रुप से दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जिला के चयन हेतु मानदंड निम्नानुसार हैः-

क0 सं0	मानदंड	अंक
1	कार्यनीति एवं आयोजन में स्पष्टता	30%
2	जिला प्रशासन एवं स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों/ एजेंसियों की सहभागिता	20%
3	जिला केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं के रूप में समग्र कार्य निष्पादन	20%

4	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना तथा भारत सरकार की एडिप स्कीम के उपयोग सहित दिव्यांगजन के लाभार्थ विभिन्न विभागों की स्कीमों और संसाधनों में समाभिरूपताः और	15%
5	पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान आदि जैसी निवारक कार्यनीति के विशेष संदर्भ में सेवाओं के प्रावधान की पद्धतियों में नवीनता	15%

➤ आवेदन अनुबंध–झ के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

8– सर्वश्रेष्ठ सृजनशील वयस्क दिव्यांग व्यक्तियों एवं सर्वश्रेष्ठ बालक/बालिका

8.1 **राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ सृजनशील वयस्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए**

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यस्क दिव्यांग महिला/पुरुष को कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट सृजनात्मक योगदान के लिये एक–एक पुरस्कार प्रदान किया जायेगा, जिसका निर्णय चयन समिति द्वारा किया जाएगा

8.2 **राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ बालक/बालिका**

18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बालक/बालिका को कला, साहित्य, संस्कृति अन्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक कार्यो के लिए एक–एक पुरस्कार प्रदान किया जायेगा, जिसका निर्णय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

➤ दिव्यांग वयस्क व्यक्ति हेतु आवेदन अनुबंध–ञ में तथा दिव्यांग बालक/बालिका हेतु आवेदन अनुबंध–ट के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

9– राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस

सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस के लिए एक पुरस्कार होगा। ब्रेल प्रेस का आंकलन निम्नलिखित मानदंडो के आधार पर किया जायेगाः–

क्र0 सं0	मानदंड	अंक
1	वह अवधि जब से प्रेस ब्रेल सामग्री का प्रकाशन कर रहा है	05%
2	मुद्रित प्रकाशनों की संख्या	15%
3	भाषाओं की संख्या, जिनमें प्रकाशन प्रकाशित किए जा रहे हैं	15%
4	स्कूल/कॉलेज की प्रकाशित पुस्तकों की संख्या	25%
5	पिछले 3 वर्ष में प्रत्येक वर्ष ब्रेल में मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या	10%
6	पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष मुद्रित टेक्टाइल स्कैचों जैसे ग्राफ, ज्यामितीय चित्रों आदि की संख्या	10%
7	कुल करोबार, व्यय तथा लाभ/हानिसहित ब्रेल प्रेस की वित्तीय स्थिति	20%

➤ आवेदन अनुबंध–ठ के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

10– राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु दिव्यांगजन के लिए सर्वोत्तम अनुकूल वेबसाइट

(क) इस श्रेणी में कुल एक पुरस्कार होगा। ऐसे पात्र (1)सरकारी संगठन (2) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी/स्थानीय सरकारी निकाय और (3) निजी/गैर सरकारी संगठन को प्रत्येक एक पुरस्कार दिया जाएगा जिनकी वेबसाइट दिव्यांगजन अनुकूल होगी।

(ख) आवेदकों का मूल्यांकन निम्नांकित मानदण्डों पर किया जाएगा।

(1) यह डब्ल्यू सी ए जी 20 की ए ए स्तर के दिशा निर्देशों को पूरा करता है
(2) दृष्टि दिव्यांगजन स्क्रीनरीडर सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकता हो
(3) माउस का प्रयोग करने में कठिनाई महसूस करने वाले व्यक्ति आवाज पहचान साफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं जिससे वर्बल कमाण्ड करने वाले कम्प्यूटर पर कार्य किया जा सकता है।
(4) इसमें पाठ के आकार और स्पेस को बदलने की सुविधा हो
(5) इसमें पाठ की कलर स्क्रीन बदलने की सुविधा हो
(6) क्या वेबसाइट मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकती है
(7) क्या वेबसाइट को नियमित रुप से अद्यतन किया जाता है

➢ आवेदन अनुबंध–ड के रुप में संलग्न विहित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

11– राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए

खेल के क्षेत्र में दिव्यांगजन की असाधारण सृजनशीलता के लिए आसाधारण दिव्यांग खिलाड़ियों को दो पुरस्कार प्रदान किये जाऐंगे। चयन के लिए मानदंड इस प्रकार होंगे:–

क0 सं0	मानदंड	अंक
1	प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल स्पर्धाओं की संख्या जिनमें भाग लिया गया।	20%
2	विगत तीन वर्षो की अवधि में प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय पदकों की संख्या ।	30%
3	अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल स्पार्धाओं की संख्या जिनमें भाग लिया गया	15%
4	विगत तीन वर्षो की अवधि में प्राप्त अंर्तराष्ट्रीय पदकों की संख्या ।	20%
5	दिव्यांगजन से संबंधित खेल गतिविधियों में अन्य कोई उपलब्धि	15%

➢ आवेदन अनुबंध–ढ में संलग्न विहित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

12– राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु दिव्यांगजन के सशक्तीकरण के लिए कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी हेतु मानदण्ड

(1) कियान्वयन क्षमता
(2) अनुपस्थितियां
(3) उच्च स्तरीय अधिकारियों एवं सह कर्मियों के साथ सहयोग
(4) दिव्यांगजन के हितार्थ योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन में सहभागिता।
(5) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव।
(6) सेवा अवधि की गणना पुरस्कार वर्ष के ठीक पिछले वर्ष की 31 दिसम्बर तक की सेवा अवधि के आधार पर की जायेगी। नियमित सेवा के पूर्व की तदर्थ सेवायें अथवा विच्छेदित सेवायें बिना मर्षण (कण्डोन) के नियमित सेवा के रुप में नही जोड़ी जायेगी।
(7) सामान्यतया सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी पुरस्कार के लिए अर्ह नही होंगे। किन्तु ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जो उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें पुरस्कार दिया जाना है, के एक भाग (कम से कम चार माह अर्थात 30 अप्रैल तक) में सेवारत रहे हों तथा पुरस्कार के लिये निर्धारित अन्य अर्हतायें पूर्ण करते हों, के नाम पर भी विचार किया जा सकेगा। अधिवर्षता आयु की प्राप्ति के उपरान्त पुर्ननियुक्त के आधार पर की गयी सेवा अवधि

	को पुरस्कार के लिये निर्धारित अर्हकारी सेवावधि में नहीं जोड़ा जायेगा। (8) सम्पूर्ण सेवा की गणना करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमित सेवा दो अन्तरालों में है तो उसका मर्षण हुआ है अथवा नही। मर्षण से संबंधित आदेश की प्रति आवेदन के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न की जायेगी। (9) केवल उन्हीं अधिकारियों/ कर्मचारियों के नामों पर पुरस्कार हेतु विचार किया जायेगा जिनके विरुद्व किसी प्रकार की कोई विभागीय अथवा कानूनी कार्यवाही/जॉच लम्बित न हो अथवा उनके विरुद्व पूर्व या वर्तमान में कोई दण्डात्मक कार्यवाही न की गयी हो या गोपनीय आख्या में निन्दात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित न की गयी हो। आवेदक किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाए हों तथा जिनके विरुद्व किसी प्रकार की धनराशि देय न हो। ➢ आवेदन अनुबंध–ण में संलग्न विहित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।
चयन प्रकिया	निदेशक द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त इन पुरस्कारों का चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्न पदाधिकारी होंगे:– (1) मा0 मंत्री, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। – अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। – सचिव (3) आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश। – सदस्य (4) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी। – सदस्य (5) प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी। – सदस्य (6) कुलपति, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ। – सदस्य (7) निदेशक, खेल एवं युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश। – सदस्य (8) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश। – संयोजक सदस्य (9) कन्फेडरेशन आफ इण्डियन इन्डस्ट्रीज, उ0प्र0 लखनऊ से नामित प्रतिनिधि। – सदस्य (10) पं0 दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन लखनऊ में संचालित क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र (सी0आर0सी0)के आफिस इन्चार्ज। – सदस्य (11) मा0 मंत्री के अनुमोदन से नामित दो अन्य विशेषज्ञ/ व्यक्ति – सदस्य (12) दो दिव्यांगों के पुनर्वासन से संबंधित विशेष व्यक्ति/स्वैच्छिक संस्थायें जिनका नामांकन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। –सदस्य
प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली गतिविधियों	पुरस्कारों के संबंध में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर (अनुबन्ध–त) के अनुसार

का कैलेंडर	
पुरस्कार वितरण समारोह	उक्त श्रेणी के पुरस्कारों का वितरण समारोह प्रत्येक वर्ष विश्व दिव्यांग दिवस (03 दिसम्बर) के अवसर पर किया जायेगा। जिसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। महामहिम राज्यपाल/मुख्यमंत्री/मंत्री, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
पुरस्कार हेतु प्रस्तावों का प्रेषण	1– पुरस्कारों के संबंध में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर (अनुबन्ध–त) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पुरस्कार हेतु आवेदन संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीरकण अधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्रों सहित तीन प्रतियों में पुस्तिका के रुप में तैयार कराया जायेगा तथा पुरस्कार की संस्तुति हेतु गठित जिला चयन समिति की संस्तुति प्राप्त करके प्रस्ताव की एक प्रति जिला दिव्यांगजन सशक्तीरकण अधिकारी अपने कार्यालय में संरक्षित करते हुए प्रस्ताव की दो प्रतियॉं गोपनीय सील्ड बन्द लिफाफे में पंजीकृत डाक/विशेष पत्रवाहक से निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे। पुरस्कार हेतु जिला चयन समिति निम्नवत होगी:– 1. जिलाधिकारी — अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा नामित चिकित्सक — सदस्य 3. जिला दिव्यांगजन सशक्तीरकण अधिकारी — संयोजक सदस्य 4. जिला सेवायोजन अधिकारी — सदस्य 5. सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधि — सदस्य 6. दो दिव्यांगजन यथा सम्भव (विकलांग बन्धु समिति/लोकल लेबल कमेटी) में नामित हों। — सदस्य 2– अधिकारियों/ कर्मचारियों के आवेदन पत्र उनके विभागाध्यक्ष, कार्य, आचरण, चरित्र तथा गोपनीय आख्या के संबंध में अपनी पुष्टि के साथ निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश को अपनी संस्तुति सहित भेजे जा सकते हैं। 3– निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्राप्त होने वाले आवेदनों को विचारोपरान्त पूर्णरुप से सन्तुष्ट होने पर अपनी संस्तुति सहित उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को उपलब्ध करायेंगे। पुरस्कार हेतु अन्तिम निर्णय राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
पुरस्कार प्राप्त करने वाले महानुभावों को यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधायें	लखनऊ जनपद के बाहर के पुरस्कार हेतु चयनित दिव्यांगजन जिनको सहवर्ती अनुमन्य हों उनके सहवर्ती एवं अन्य श्रेणी के चयनित पुरस्कार प्राप्तकर्ता को ही अधिकतम तृतीय श्रेणी ए0सी0 का आने–जाने का व्यय विभाग द्वारा किया जायेगा। पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति और उनके साथ रहने वाले एक व्यक्ति के ठहरने और खानपान की व्यवस्था पर होने वाला व्यय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वहन किया जायेगा।
नियमों में संशोधन	राज्य सरकार समय–समय पर इस नियमावली में यथावश्यक परिवर्तन/ परिवर्धन कर सकती है, जिसके लिए मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता),
प्रमुख सचिव।

संख्या–399(1)/65–1–2017 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0 प्र0।

2– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस नियमावली का व्यापक प्रचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0 प्र0।

4– कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ।

5– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0।

6– समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उ0 प्र0।

7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3

8– दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2/3

9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राम चन्द्र)
विशेष सचिव।